राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद संख्या–48 (लो0सू0अ0)/2022–23

श्री केशव आर्य, डी–102, गणेश नगर, पाण्डव नगर, कॉम्पलैक्स, दिल्ली–92

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
11.10.2022	श्री केशव आर्य, डी–102, गणेश नगर, पाण्डव नगर, कॉम्पलैक्स, दिल्ली–92 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–07.10.2022 इस कार्यालय में दिनांक–10.10.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन में यह उल्लिखित किया गया है कि अपीलार्थी BPL सूची के सदस्य है तथा BPL सूची में इनका अनुक्रमांक संख्या–077000623815 है। साथ ही उन्होंने अपील आवेदन की कंडिका–06 में यह भी उल्लिखित किया है कि आवेदन के साथ 10/– रू० का पोस्टल आर्डर संख्या–92E326010 संलग्न है, परंतु न तो पोस्टल आर्डर अपील आवेदन के साथ संलग्न है और न ही गरीबी रेखा से नीचे बसर करने का समुचित साक्ष्य अपील आवेदन के साथ संलग्न है। अपीलकर्त्ता श्री केशव आर्य ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–26.09.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन महामहिम राज्यपाल को भेजा था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी से सूचना/निर्णय प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (7) (1) के तहत यह दावा किया है कि प्रपत्र 'क' के माध्यम से मॉगी गई जानकारी उनके जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, अतः लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के अंदर जानकारी दें। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–दिनांक–26.09.2022 की प्रति भी संलग्न की है। बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम–3 (परिशिष्ट–1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में ₹ 10/– (दस रूपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है और न ही गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का कोई समुचित साक्ष्य संलग्न किया है। अतः अपीलार्थी से अपील शुल्क अथवा गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का साक्ष्य की मॉग करें ताकि उनका अपील आवेदन स्वीकृत कर अग्रतर कार्रवाई की जा सके। सभी संबंधित को सूचित करें तथा अभिलेख पुनः 21.10.2022 को उपस्थापित करें। 11/10/2022 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

अपील वाद संख्या–48 / 2022–23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
21.10.2022	लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी श्री केशव आर्य, डी–102, गणेश नगर, पाण्डव नगर, कॉम्पलैक्स, दिल्ली–92 से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत समर्पित प्रपत्र 'क' दिनांक–26.09.2022, जो दिनांक–28.09.2022 को इस सचिवालय में पंजीकृत किया गया है। प्रशाखा पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने अपने पत्रांक–177 दिनांक–13.10.2022 के माध्यम से प्राप्त आवेदन को विशेष कार्य पदाधिकारी, लोक शिकायत निवारण केन्द्र, सूचना भवन, पटना को भेजा है तथा पत्र की प्रति आवेदक श्री केशव आर्य को भी दी गई है। अपीलार्थी श्री केशव आर्य अपने प्रपत्र 'क' के माध्यम से उनके द्वारा दिए गए आवेदन 09.08.2021 एवं 12.09.2022 को जो सुरक्षा आवेदन पत्र दिया है, उस पर राज्यपाल सचिवालय द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी की मॉग कर रहें है। अतः लोक सूचना पदधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा दिये गए शिकायत आवेदन तथा सुरक्षा हेतु दिए गए आवेदन दिनांक–09.08.2021 एवं 12.09.2022 पर राज्यपाल सचिवालय द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दे। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 21/10/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	